



FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला-भीलवाड़ा
अनवान

सुआमोटो रास्ता बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा
किरम मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आर.ए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर
प्र0सं0 08/2021 प्रा0पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.01.2021	<p>सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व/2020/831 दिनांक 02.09.2020 द्वारा ग्राम मनोहरपुरा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा के विलानाम खसरा नम्बर 157 रकबा 6.11 बीघा किरम बंजड़ में से रकबा 0.10 बीघा भूमि का मौके पर रास्ता चालु है जो ग्राम मनोहरपुरा से मजरा सलफड़ा (अलगवास) की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता है। उक्त रास्ते का सार्वजनिक आवागमन एवं ग्रामवासियों के आने-जाने में उपयोग हो रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। जिसके समर्थन में सम्बत् 2072 से 2075 की नकल जमावन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का करेड़ाके तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंषा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालयके क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12.01.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा</p>	
12.01.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार की रिपोर्ट/अभिशंषा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मनोहरपुरा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा के विलानाम खसरा नम्बर 157 रकबा 6.11 बीघा किरम बंजड़ में से रकबा 0.10 बीघा भूमि का मौके पर रास्ता चालु है जो ग्राम मनोहरपुरा से मजरा सलफड़ा (अलगवास) की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता है उक्त रास्ते का सार्वजनिक आवागमन एवं ग्रामवासियों के आने-जाने में उपयोग हो रहा है को राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शों में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट-‘ए’ में वर्णितानुसार कर अमलदरामद की कार्यवाही करे। पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (महीपाल सिंह) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा</p>	